N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0046 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/02/2025 18:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/02/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 22:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/02/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/02/2025 18:29:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** PANCHYAT SAMITI KARYALYA, SARDARSHAR JILA CHURU

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BANSHILAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): NANAK RAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 18/06/1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHEJARA DIKHNADA, BHANIPURA, BHANIPURA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHEJARA DIKHNADA, BHANIPURA, BHANIPURA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANJEET SINGH		पिता:PANNALAL	1. GAON GIDHGICHIYA,CHURU,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू । विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने हेतु । महोदय निवेदन है कि मैं बंशीलाल पुत्र श्री नानक राम जाति जाट निवासी खेजड़ा दिखनादा तहसील भानीपुरा जिला चूरू का निवासी हूं। मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) में वर्ष 2018 की चयनित सुची में पात्र अभ्यार्थियों की सुची में नाम अंकित है । मैं ग्राम खेजड़ा के ग्राम विकास अधिकारी श्री रणजीत सहारण से दिनांक 16.02.2025 को मिला व मेरा मकान बनाने की बात की तो ग्राम विकास अधिकारी ने मेरा मकान स्वीकृत कराने व जीओ टेग प्रक्रिया करने की एवज में मेरे से 4000/- चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की, कहा जल्दी करवा दूंगा। मैं ग्राम विकास अधिकारी श्री रणजीत सिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता व रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें" प्रार्थी एसडी बंशीलाल 18.02.2025 बंशीलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी खेजड़ा दिखनादा तहसील भानीपुरा जिला चुरू मो [redacted] कार्यवाही पुलिस आज दिनांक 18.02.2025 को समय 01.00 पीएम पर श्री बंशीलाल पुत्र नानकराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी खेजड़ा दिखनादा तहसील भानीपुरा जिला चूरू ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो चूरू में उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की । श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित होना बताया व ग्राम विकास अधिकारी श्री रणजीत सिंह से किसी प्रकार का उधार लेन-देन व रंजिश होना नहीं बताया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का होना पाया जाता है। जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा तदुपरान्त जैसी स्थिति होगी कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही पुलिस परिवादी को पढकर सुनाई सुन-समझ सही मान अपने हस्ताक्षर करता है। परिवादी बंशीलाल को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी से वार्ता करने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि ग्राम सेवक गांव की ग्राम पंचायत में मुझे मिल जायेगा, जिससे मैं वार्ता कर रिकॉर्ड कर सकता हूं। इस पर सरकारी वॉईस रिकॉर्डर जरिये फर्द श्री श्रवण कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी बंशीलाल के साथ सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। वक्त 09.00 पीएम पर श्री श्रवण कुमार कानि. बाद सत्यापन हाजिर चौकी आया व वॉईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि गांव खेजड़ा दिखणादा में परिवादी ग्राम सेवक से मिला व वार्ता कर वापिस मेरे पास आया व बताया कि उसकी ग्राम सेवक से उसके कार्य हेतु रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसमें ग्राम सेवक ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा मकान स्वीकृत कराने व उसके जिओ टेग की प्रक्रिया करने के लिये चार हजार रूपये रिश्वत के मांगे तथा 2000 रूपये मेरे से ले लिये तथा शेष 2000 रूपये के लिये ग्राम सेवक ने कहा है कि वह उसका कार्य कर अपने आप ही फोन से वार्ता कर बुला लेगा। इस पर मैं परिवादी बंशीलाल को गांव में ही छोड़ कर चूरू आ गया। कानि. श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 19.02.2025 को परिवादी बंशीलाल हाजिर चौकी आया व दिनांक 18.02.2025 को सत्यापन वार्ता के तथ्य जो मन् पुलिस निरीक्षक को कानि. श्रवण कुमार द्वारा बताई गई की ताईद की। दिनांक 18.02.2025 को आरोपी ग्राम सेवक से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की वॉईस रिकार्डर निकालकर उसमें रिकार्ड वार्ता को परिवादी बंशीलाल व कानि0 श्रवण कुमार के समक्ष सुन-सुन कर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई व उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता को दो डीवीडी में डाउनलोड किया जाकर एक डीवीडी को कपड़े की एक थैली में सील्ड कर मार्क A-1 अंकित किया गया तथा एक डीवीडी को खुला रखा गया। वॉईस रिकॉर्ड से वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर मैमोरी कार्ड को रेपर सहित कपड़े की एक थैली में सील्ड कर मार्क A अंकित कर दोनों पैकेट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये एचसी कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी बंशीलाल को आरोपी द्वारा मांगी गई शेष रिश्वत राशि की व्यवस्था करने व आरोपी द्वारा सम्पर्क किया जाने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करने एवं गोपनीयता रखने के निर्देश देकर रवाना किया गया। दिनांक 24.02.2025 को परिवादी श्री बंशीलाल हाजिर चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी रणजीत सिंह से वार्ता हुई तो उन्होनें शाम तक पंचायत समिति सरदारशहर में होने की कही है जिस पर मेरे द्वारा सरदारशहर करीब 5.00 पीएम तक आने की कही व रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000 रुपये साथ लाया है। इस पर ट्रेप के आयोजन हेतु दो सरकारी कर्मचारी बतौर गवाह तलब कर लाने हेतु श्री बसन्त सिंह कानि. को अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी चूरू के नाम तहरीर जारी कर भेजा गया जो दो सरकारी कर्मचारी श्री अनिल कुमार व श्री मुकेश कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर चौकी आया। दोनों कर्मचारियों से परिवादी बंशीलाल द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप

कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त कर दोनों गवाहों को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं सत्यापन वार्ता के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिसे परिवादी बंशीलाल ने सही होना बताया। वक्त 03.00 पीएम पर गवाहों के समक्ष परिवादी बंशीलाल को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने के निर्देश दिये तो परिवादी ने अपनी जेब से पांच-पांच सौ रुपये के चार नोट कुल 2000 रुपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये, जिनका विवरण इस प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1VS 843228, 2. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9GH 613755, 3. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8BB 527683, 4. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KB 822040, उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाकर श्री कृष्ण सिंह हैडकानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी बंशीलाल की बाद जामा तलाशी कृष्ण सिंह से परिवादी के पहनी जैकेट की सामने की नीचे की बांयी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये। श्री कृष्ण सिंह हैडकानि. के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेटयुक्त घोल में डूबोकर धुलवाया जाकर परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी बंशीलाल को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये सरकारी बॉईस रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। वक्त 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी बंशीलाल, दोनों स्वतन्त्र गवाह अनिल कुमार व मुकेश तथा चूरू चौकी का जाप्ता श्री गिरधारी सिंह उप निरीक्षक, श्री ईसब अली उप निरीक्षक, आबिद खान एचसी, राकेश कुमार, रिपेन्द्र सिंह, श्रवण कुमार, बसन्त सिंह, राजकुमार कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक सुरेन्द्र सिंह व प्राईवेट वाहन सं. आरजे 18 यूवी 0258 मय चालक राकेश के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना सरदारशहर के लिए हुआ। श्री कृष्ण सिंह हैडकानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त 05.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनों गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के कस्बा सरदारशहर में पंचायत समिति के पास तिराहे पर पहुंचा। गाड़ियों को साईड में खड़ा कर परिवादी बंशीलाल को आवश्यक निर्देश देकर एवं ईशारे बाबत् बता कर आरोपी से सम्पर्क करने पंचायत समिति कार्यालय के लिये रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे कानि. श्रवण कुमार व रिपेन्द्र सिंह को रवाना किया। मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहों व दिगर जाप्ते के सरकारी व प्राईवेट गाड़ियों में पंचायत समिति के पास मुख्य सड़क पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए। वक्त 05.36 पीएम पर परिवादी बंशीलाल द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का ईशारा अपने मोबाईल फोन से वार्ता कर बताने पर मैं पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप दल एवं दोनों गवाहान को साथ लेकर पंचायत समिति सरदारशहर के मुख्य द्वार के अन्दर प्रवेश किया तो दाहीनी तरफ परिवादी बंशीलाल खड़ा है। परिवादी बंशीलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आरोपी रणजीतसिंह के पास मनरेगा कार्यालय में गया तो रणजीत जी कुर्सी पर बैठे थे, मैनें अपने कार्य के सम्बन्ध में बात की तो रणजीत जी ने कहा कि तुम्हारा काम कर दिया है तथा दिनांक 18.02.2025 को हुई वार्ता के अनुसार 2000 रूपये रिश्वत के मांगे तो मैनें अपनी जैकेट की जेब से निकालकर रणजीत जी को दिये तो रणजीत जी ने रूपये अपने हाथ में लेकर बिना गिने ही अपनी पैंट की जेब में रख लिये। मैं रणजीत जी को पैसे देकर बाहर आकर आपको मोबाईल से बात कर बता दिया। इस पर परिवादी बंशीलाल व जाब्ते तथा दोनों गवाहों की साथ लेकर पंचायत समिति सरदारशहर के मनरेगा कार्यालय में प्रवेश कर बांयी तरफ के दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो एक कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यहीं रणजीत जी है, जिन्होनें मेरे से 2000 रूपये रिश्वत के लिये है। इस पर उस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खेजड़ा दिखणादा पंचायत समिति सरदारशहर जिला चूरू बताया। रणजीतसिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी बंशीलाल से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो रणजीत सिंह एकदम से घबरा गया एवं कहा कि मैनें बंशीलाल से कोई पैसे नहीं लिये है। फिर सोचकर बताया कि बंशीलाल खेजड़ा दिखणादा गांव का है तथा वैटनरी का काम करता है, जिसे मैनें करीब 10-12 दिन पहले बीकानेर से दवा मंगवाने के लिये 4000 रूपये दिये थे। बंशीलाल ने मुझे दवाई लाकर नहीं दी, मैनें बंशीलाल को पैसे के लिये कहा तो इसने तीन चार दिन पहले 2000 रूपये मुझे फोन पे कर दिये व आज मुझे 2000 रूपये बंशीलाल ने नगद दिये है जो मेरी पैंट की जेब में है। इस पर हाजिर परिवादी बंशीलाल ने स्वतः ही बताया कि रणजीत जी झुठ बोल रहे है, मेरी पत्नी सुमन के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जिओ टैग की प्रक्रिया पूर्ण कर आवास स्वीकृत कराने के लिये दिनांक 18.02.2025 को चार हजार रूपये खर्चे के मांगे थे, जिनमें से मैनें 2000 रूपये रणजीत जी को उसी दिन दे दिये थे तथा शेष 2000 रूपये आज पंचायत समिति सरदारशहर के मनरेगा कार्यालय में इनके द्वारा मांगने पर रिश्वत के दिये है। रणजीत जी ने मुझे दस बारह दिन पहले वैटनरी की दवाईयां मंगवाने के लिये कोई पैसे नहीं दिये थे तथा ना ही मैनें इनको 2000 रूपये फोन पे किये थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक का दाहीना हाथ व बांया हाथ कलाईयों से पकड़ाये गये। दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल

तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा । एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुदला हो गया । गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया । दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रणजीत सिंह के बायें हाथ की अंगूलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया । गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया । मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री अनिल कुमार ने आरोपी रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक के पहने कपड़ों की तलाशी ली तो पहनी पेंट की पीछे की बांयी जेब में पांच-पांच सौ रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटों को गिनकर गवाह अनिल कुमार ने 2000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनों गवाहों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर वही पाये गये। बरामद नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों को खुले कपडे में सीलड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी श्री रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक से पूछताछ, हाथों की धुलाई एवं रिश्वती राशि बरामदगी तथा परिवादी से पूछताछ का वक्त 5.37 पीएम से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये वीडीयो कैमरा विडियो क्लीप तैयार करवाई गई। उक्त विडियों क्लिप को अलग से पैन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में डाउनलोड किया गया तथा विडियो क्लिप का मूल मैमोरी कार्ड (VM MICROSDHC 4 GB) को कैमरे से निकालकर कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क-M अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट को जब्त किया गया तथा पैन ड्राईव को खुला रखा गया। आरोपी रणजीतसिंह के लिये एक लॉवर की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई पेंट बरंग स्लेटी के पीछे की बांयी जेब को उल्टवाकर प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री रणजीत सिंह की उक्त पैंट को धागे में सीलचिट कर मार्क-P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर जब्त किया गया। आरोपी रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी बंशीलाल से 2000 रूपये रिश्वत लेने का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध पाये जाने पर आरोपी रणजीत सिंह को उक्त अपराध में गिरफ्तार करने के लिये जरिये पत्र अलग से सूचित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि अलग से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-25 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व आरोपी रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को जरिये लेपटॉप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर की मैमोरी में रिकॉर्ड है, को मैमोरी कार्ड एवं दो डीवीडी में डाउनलोड कर मैमोरी कार्ड व एक डीवीडी कपड़े की थैली में सील्ड कर क्रमशः मार्क-MC व मार्क - MC-1 अंकित कर जब्त किया गया। एक डीवीडी को खुला रखा गया। आरोपी रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक को अपराध के तथ्यों से अवगत करवाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर 25 को गवाहान के समक्ष जरीये फर्द नष्ट किया गया। पंचायत समिति सरदारशहर के मनरेगा कार्यालय में ट्रैप कार्यवाही सम्पन्न कर परिवादी बंशीलाल को रूकसत दी गई तथा मैं पुलिस निरीक्षक, दोनों गवाहों व ट्रेप दल सदस्यों तथा गिरफ्तार आरोपी रणजीत सिंह के ट्रेप कार्यवाही में जप्त समस्त वजह सबूत हमराह लेकर जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन सरदारशहर से रवाना होकर रात्रि में चौकी एसीबी चूरू पहुंचा। दोनों गवाहान को बाद आवश्यक निर्देश रूकसत दी गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत 2000 रूपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की 06 सील्ड शिशियां, 01 सील्ड पेंट पैकेट, सील्ड मैमोरी कार्ड व डीवीडी पैकेट को जरीये हैडकानि0 कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाये गए। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री बंशीलाल पुत्र श्री नानकराम जाति जाट निवासी खेजड़ा दिखनादा तहसील भानीपुरा जिला चूरू की पत्नी सुमन के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जिओ टैग प्रक्रिया अपनाकर मकान स्वीकृत कराने की एवज में आरोपी श्री रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खेजड़ा दिखणादा पंचायत समिति सरदारशहर जिला चूरू द्वारा दिनांक 18.02.2025 को अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 4000 रूपये रिश्वत के मांग करना तथा सत्यापन वार्ता के दौरान 2000 रूपये परिवादी बंशीलाल से प्राप्त कर शेष 2000 रूपये रिश्वत के दिनांक 24.02.2025 को पंचायत समिति सरदारशहर के मनरेगा कार्यालय में प्राप्त किये गये। आरोपी रणजीत सिंह कनिष्ठ सहायक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री पन्नालाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी गांव गिड़गिचिया पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खेजड़ा दिखणादा पंचायत समिति सरदारशहर जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें

प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री पन्नालाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी गांव गिड़गिचिया पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खेजड़ा दिखणादा पंचायत समिति सरदारशहर जिला चूरू के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 431 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 241-44 दिनांक 25-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-विकास अधिकारी, पंचायत समिति सरदारशहर, जिला चूरू । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRASINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 25.02/2025 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	26/08/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)